


कार्यालय निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

Email dirndbr-forest-uk@nic.in Off. Ph.&fax 01372252497

वन मित्र कॉन्सेंटर - 920 800 8000



पत्रांक- 2434 / 12-1 गोपेश्वर दिनांक 31 जनवरी 2018.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी,
देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर सिंदोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.23 है० वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव। FP/UK/ROAD/12840/2015.

सन्दर्भ:- उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 2760/12-1, दिनांक 30.01.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 2760/12-1, दिनांक 30.01.2018 से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। सन्दर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय,

(मान सिंह)

निदेशक/वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 2760 / 12-1 गोपेश्वर, दिनांक 30/1/2018

सेवा में,

उप वन संरक्षक
के.आ.वा.प्रा.

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून।

द्वारा:- निदेशक/ वन संरक्षक, नन्दादेवी वायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषय :-

प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/12951/2015 गौचर सिदोली मोटर मार्ग का विस्तार।


उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि FP/UK/ROAD/10861/2015 के सम्बन्ध में चाही गयी

सूचना संशोधित कर निम्नानुसार आपको प्रेषित की जा रही है :-

Sl. No.	E.D.S. R.O.	Reply by User Agency
1	Provide Sparate Compoment wise break up in B- 2.4 as in following way:- (a) - Road - Muck dumping	component wise break break up Road & Muck dumping के अनुसार संशोधित कर पार्ट I में आन लाइन किया गया है।
2	In reply to point no. 7, VLC proceedings date of other two villages submitted now are after DM certificate which is not acceptable.	ग्राम ओव्याग्वाड एवं धनपुर की VLC प्रपत्र अलग-2 कर पार्ट I में आनलाईन अपलोड किया गया है। संलग्न
3	4. In reply to point no. 12, as per the information regarding tree enumeration in hard copy of the proposal out of 964 trees 737 trees are below diameter 0-10 cm therefore the trees proposed to be felled are 230 but the entry of 255 trees are made in online Part-II. which may be corrected accordingly.	पार्ट II में संशोधित कर अपलोड किया गया है।

संलग्न:- ग्राम ओव्याग्वाड एवं धनपुर की VLC प्रपत्र मूल में।

अतः अनुरोध है कि विषयकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।


(अमित कंवर)

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे० वन पंचायत भूमि , एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.130 हे० कुल भूमि 2.230 हे० भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- ओब्याग्वाड
तहसील- कर्णप्रयाग
जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु (वन पंचायत भूमि 2.100 हे० एवं 0.130 हे० मक डिस्पोजल) कुल 2.230 हे० वन पंचायत भूमि का का अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।


उक्त प्रकरण के विषय में ओब्याग्वाड द्वारा दिनांक 10.02.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ओब्याग्वाड के ग्रामवासियों को उक्त 2.230 हे० वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- जी०बी० जोशी
ग्राम सचिव ग्राम पंचा०वि०ओब्याग्वाड
ग्राम पंचा०-कर्णप्रयाग
विकास खण्ड-कर्णप्रयाग

ह०/-
ग्राम प्रधान




प्रपत्र-23.1

दिनांक 10/02/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - ओब्यागवाड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
11	रमेश शरदा	रमेश शरदा
12	ममता देवी	ममता देवी
13	जिजा कशिद	जिजा कशिद
14	शाला देवी	शाला देवी
5	मुन्नी देवी	मुन्नी देवी
6	मुन्नी देवी	मुन्नी देवी
7	सरोश्वरी देवी	सरोश्वरी देवी
8	वर्मा कशिद	वर्मा कशिद
9	विक्रम कशिद	विक्रम कशिद
10	विरेषला कशिद	विरेषला कशिद
11	कमला देवी	कमला देवी
12	विमला देवी	विमला देवी
13	श्यामल कशिद	श्यामल कशिद
14	विजय कशिद	विजय कशिद


 जी०बी० जोशी
 ग्राम पंचायत-ओब्यागवाड
 ग्राम पंचायत - ओब्यागवाड
 दिनांक 10/02/2015

ह०/-
 ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे० वन पंचायत भूमि , एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.130 हे० कुल भूमि 2.230 हे० भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- धनपुर
तहसील- कर्णप्रयाग
जिला-चमोली


अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु (वन पंचायत भूमि 2.100 हे० एवं 0.130 हे० मक डिस्पोजल) कुल 2.230 हे० वन पंचायत भूमि का का अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।


उक्त प्रकरण के विषय में धनपुर द्वारा दिनांक...10.02.2015.....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धनपुर के ग्रामवासियों को उक्त 2.230हे० वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- 
ग्राम सचिव जी०बी० जोशी
ग्राम पंचायत-धनपुर
विकास खण्ड-कर्णप्रयाग


ह०/-
ग्राम प्रधान



दिनांक 10/2/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - धनपुर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शोबल सिंह	शोबल सिंह
2	बचन सिंह	बचन सिंह
3	हरि शर्मा	हरि शर्मा
4	नरेश सिंह	नरेश सिंह
5	दिनेश्वर सिंह	दिनेश्वर सिंह
6	अशोक सिंह	अशोक सिंह
7	विनोद सिंह	विनोद सिंह
8	जगज्जाल	जगज्जाल
9	दान सिंह	दान सिंह
10	देव-क सिंह	देव-क सिंह


 अशिशु जीशी
 ग्राम पंचायत अधिकारी
 ग्राम पंचायत - धनपुर
 विभाग - कृषि-कर्मप्रयोग

ह0/-
ग्राम प्रधान

